

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं० :- 01/भू0अ0नि0(3)विविध(संविदा)-16/2023-2024 पटना, दिनांक 16/06/2026

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 199-11 दिनांक 25.03.2026 द्वारा सुश्री रेश्मी रंजन, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12636) के विरुद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि ये बिना किसी अवकाश के दिनांक 01.04.2025 से 15.04.2025 तक अनुपस्थित रहीं हैं, जिससे कार्य बाधित हुआ है, जिस संदर्भ में कारण पृच्छा करने पर इनके द्वारा दिनांक 31.03.2025 को दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण तबियत खराब होने की बात अंकित की गयी है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इनका स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य नहीं है। इनके द्वारा संलग्न चिकित्सा पर्ची दिनांक 09.04.2025 का है यद्यपि की दुर्घटना दिनांक 31.03.2025 को हुई है। साथ ही साथ यह भी ये दिनांक 17.10.2025 से 17.12.2025 तक उपस्थित नहीं हुई है, जिससे संदर्भ में पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर भी इनके द्वारा नहीं दिया गया है एवं पुनः दिनांक 18.01.2026 से लगातार अनुपस्थित हैं।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 1306 दिनांक 22.04.2026 द्वारा सुश्री रंजन को 07 दिनों के अन्दर इस शर्त के साथ स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया था कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा समाप्ति संबंधी एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा 01 माह की लम्बी अवधि के बाद भी अपना प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया है।


स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। चूंकि बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार सुश्री रंजन की दुर्घटना दिनांक 31.03.2025 को हुई एवं इनके द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है कि इन्हें गंभीर चोट आयी है, परन्तु इनके द्वारा बंदोबस्त कार्यालय में दिए गए चिकित्सीय साक्ष्य में दिनांक 09.04.2025 की तिथि अंकित है। साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इन्हें कितने दिनों के बेड रेस्ट की सलाह दी गयी है। साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि ये बिना वरीय पदाधिकारी को सूचित किये अनाधिकृत अनुपस्थित रहती है, जिससे सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ ये वर्ष 2025 में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा आयोजित हड़ताल में भी सम्मिलित हुई हैं। स्पष्ट है कि ये विशेष सर्वेक्षण कार्य जैसी महत्वाकांक्षी योजना के प्रति गंभीर नहीं है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए ही विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है। सुश्री रंजन के बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें आवंटित कार्य बाधित हो रहा है। यदा-कदा कारणों का उल्लेख कर यह अनुपस्थित रहती है, परन्तु इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराती है। इसके बावजूद इन्हें निदेशालय स्तर पर अवसर देते हुए साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, जिसका प्रतिउत्तर भी नहीं दिया गया है। इस तरह का कृत्य इनके मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता, कार्यों की प्रति लापरवाही एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना को परिलक्षित करता है। यदि इन्हें संविदा में बनाए रखा जाता है, तो इनके कृत्य का प्रतिकूल प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

✓


३०४०३०

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम - 8(4) के तहत सुश्री रेश्मी रंजन, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12636), बंदोबस्त कार्यालय, नवादा का संविदा नियोजन अनुपस्थिति की तिथि से समाप्त किया जाता है।


(सुहर्ष भगत)

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 01/भू0अ0नि0(3)विविध(संविदा)-16/2023²⁰⁰⁹ पटना, दिनांक : 16/06/2026
प्रतिलिपि :- सुश्री रेश्मी रंजन, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12636), बंदोबस्त कार्यालय, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 01/भू0अ0नि0(3)विविध(संविदा)-16/2023²⁰⁰⁹ पटना, दिनांक : 16/06/2026
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 01/भू0अ0नि0(3)विविध(संविदा)-16/2023²⁰⁰⁹ पटना, दिनांक : 16/06/2026
प्रतिलिपि :- संबंधित प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण